(183)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, म0प्र0

~~पुनरीक्षण~~ पुनर्विलोकन आवेदन क्र0/ /012

मुकेश मार्गव अधि. द्वारा आज दि. 30-6-12 को प्रस्तुत
30-6-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
1.40 PM
रेफ़ 1921-पी/12
पुन 1921-पी/12

अरूण कुमार तनय गोपिका प्रसादब्रा0 निवासी ग्राम बीरखाम, थाना सेमरिया तह0 सिरमौर, वर्तमान सेमरिया, जिला रीवा, म0प्र0.

---आवेदक/~~पुनरीक्षणकर्ता~~

बनाम

मृत हनुमान प्रसाद पाण्डेय तनय श्री चन्द्रिकाप्रसाद उर्फ मनफेर राम निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर, थाना बैकुण्ठपुर, तह0 सिरमौर जिला रीवा, म0प्र0 मृत

वारिश
सच्चितानंद पुत्र गोविंदप्रसाद निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तह. सिरमौर जिला-रीवा म.प्र.
माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका दि. 7-1-14 के पालन मे संशोधन किया

-----अना0/~~पुनरीक्षणकर्ता~~

~~पुनरीक्षण~~ पुनर्विलोकन आवेदन विरूद्ध आदेश 22.05.012 जो माननीय न्यायालय द्वारा समक्ष - श्री एम.के. सिंह सदस्य द्वारा जो प्रकरण क्र0 निगरानी/580-तीन/2008 में पारित किया गया ।

पुनर्विलोकन ~~पुनरीक्षण~~ अन्तर्गत धारा- 51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मुकेश मार्गव
30-6-12 (एडवोकेट)
ग्वालियर

मान्यवर, ~~पुनरीक्षण~~ पुनर्विलोकन आवेदन के आधार निम्न है :-

01 यह कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.012 को प्रकरण मे आये तथ्यो की बिना विवेचना किए आदेश पारित किया गया है जो न्यायानुकूल नही है ।

02 यह कि उक्त प्रकरण के निगराकार हनुमान प्रसाद की मृत्यु दिनांक 02.12.2010 को हो चुकीथी, व उसके वारिसानो द्वारा माननीय न्यायालय मे पक्षकार बनाये जाने बावत् कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया था जिस कारण उक्त निगरानी प्रकरण स्वमेव अवेट उपसमित हो गया था जो भूलवश ~~अपील~~ निगरानी स्वीकार की गई है जो आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

निरंतर....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1921–दो/12 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
27.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सूरज सिंह लोधी उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 580–तीन/08 में पारित आदेश दिनांक 22.05.12 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यु 327–एक/05 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 580–तीन/08 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22. 05.12. से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक रिव्यु 1921–दो/12 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य